

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-08/2025- 24

पटना, दिनांक- 26/2/26

कार्यालय आदेश

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किरया एवं करों के भुगतान की शर्त पर निम्नरूपेण आवास आवंटित किया जाता है:-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवास संख्या
1.	श्री तुषार धवल सिंह, प्रधान आयकर निदेशक (अन्वे)	मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, बिहार और झारखंड, पटना	601, अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटित पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को सूचित करेंगे।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर (Mobile No.-9264293051) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता की राशि, निर्धारित मानक किराया एवं मेंटेनेंस चार्ज राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा करने की शर्त पर ही आवास आवंटित किया जाता है।

अतः आवास अधिग्रहण की तिथि से मकान किराया भत्ता की राशि, निर्धारित मानक किराया एवं मेंटेनेंस चार्ज की राशि Executive Engineer, Rent Division, BCD के Bank Account No-924020057053795, IFSC Code-UTIB0002619, Branch Name-Axis Bank Limited, Patliputra में बैंक ड्राफ्ट/अन्य माध्यम से प्रतिमाह 15 तारीख से पूर्व जमा की जाए। इस प्रकार आवंटी द्वारा उपर्युक्त वर्णित खाता में प्रतिमाह देय राशि निम्नवत होगी :-

क्र0	आवास टाईप	पटना में अनुमान्य HRA की राशि	मानक किराया	मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौति
1.	अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर	मूल वेतन का 20 प्रतिशत	₹1615	₹2153	पटना में अनुमान्य HRA (मूल वेतन का 20%राशि) +₹3768

- स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन के अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11 (2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया/दंड किराया लिया जायेगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जायेगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जायेगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-08/2025- 1990 (अ) पटना, दिनांक:- 26/2/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री तुषार धवल सिंह, प्रधान आयकर निदेशक (अन्चे) मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखंड कार्यालय, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 3/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू), पटना/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थान	संख्या	प्रति
1	आवास (राजपत्रित) पटना	26/2/26	पटना	1	माननीय मंत्री